निर्णय बइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–37/2021
दायरा दिनांक :–03.03.2021
निर्णय दिनांक :–23.12.2022

उनवान

देवीलाल आत्मज श्री माधोलाल जाति मालवी निवासी ग्राम बम्बूलिया जागीर, तहसील बारां, जिला बारां (राज0) –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) –प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 एक्ट
निर्णय दिनांक :–23.12.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री जयेश सक्सेना एड0– वादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बम्बूलिया जागीर, तहसील बारां, जिला बारां का स्थायी निवासी है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। वादी के पूर्वज भी इसी गांव के निवासी थे। ग्राम बम्बूलिया जागीर, तहसील बारां, जिला बारां में स्थित भूमि खसरा नं0 195 की 0.29 हे0, खं0 नं0 196 की 0.90 हे0, खसरा नं0 197 की 0.35 हे0 व खं0 नं0 198 की 0.13 हे0 कुल 4 किता की कुल 1.67 हे0 भूमि पर वादी पिछले 70 वर्ष से काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वादी एक गरीब व्यक्ति है और वादी के पास उक्त भूमि के अलावा कोई अन्य आय का साधन नही है, जिससे कि वादी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। क्योकि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि वादी के पूर्वजो के समय से काश्त करते आ रहे है इसलिये खं0 नं0 195, खं0 नं0 196, खं0 नं0 197 व खं0 नं0 198 की भूमि पर कब्जा मुखालफना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। वादी द्वारा ग्राम बम्बूलिया जागीर की भूमि खं0 नं0 195,196, 197 व 198 पिछले 70 वर्षो से यानि पहले अपने पूर्वज उसके बाद वादी उक्त भूमि पर लगातार काश्त करता आ रहा है, जिससे भी वादी को कब्जा मुखालफना के आधार पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गये है। वादी निर्धन काश्तकार है और वादी के पास विवादित भूमि के अलावा और कोई भी जीवन यापन का साधन नही है और वादी का उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से यानि करीब 70 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा है और हर वर्ष काश्त करता आ रहा है। वादी उक्त

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

भूमि पर काश्त के बदले तहसील कार्यालय मे तावान की राशि जमा करता आ रहा है, जिससे भी वादी का लगातार विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। वादी द्वारा अपने अभिभाषक के जरिये दिनांक 13.07.2020 को सूचना पत्र देने के बावजूद भी वादी की खातेदारी में भूमि दर्ज नीं करने पर और जिला कलक्टर कार्यालय में दिनांक 02.02.2021 को तलाश करने पर भी भूमि का नियमन व खातेदारी से इन्कार करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। विवादित भूमि पर वादी के पूर्वज व उनके बाद वादी का लगातार 70 वर्ष से अधिक का कब्जा काश्त होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये समन तलब किया गया । प्रतिवादी का जवाब पेश नही होने पर प्रतिवादी का जवाब दिनांक 18.11.22 को बन्द कर दिया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम बमूलिया जागीर सम्वत् 2072–75 खाता सं0 1, सरपंच ग्राम पंचायत बडा का प्रमाण पत्र, तहसीलदार को श्रीमान जिला कलक्टर बारां, द्वारा लिखा गया पत्र, लगान की रसीदे प्रर्दश 4 से 18 पेश किये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमूलिया जागीर तहसील बारां मे स्थित है। आराजी खं0 नं0 195 रकबा 0.29 हे0, खं0 नं0 196 की 0.90 हे0, खसरा नं0 197 की 0.35 हे0 व खं0 नं0 198 की 0.13 हे0 की कुल 1.67 हे0 भूमि पर वादी पिछले 70 वर्ष से काश्त करता चला आ रहा है। वादी गरीब व्यक्ति है। उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि वादी के पास नही है। वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बमूलिया जागीर सम्वत् 2072–75 खाता सं0 1 के अनुसार विवादित आराजी की किस्म गे0 मु0 पाल, तलाई दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत बड़ा के प्रामण–पत्र के अनुसार वादी गरीब व बी.पी.एल. का सदस्य है। नोटिस धारा 91 प्रर्दश 4 लगायत प्रर्दश 18 के अनुसार वादी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होना पाया जाता है तथा जुर्माना जमा कराता चला आ रहा है। उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर विवादित आराजी गै0 मु0 पाल व तलाई दर्ज है। वादी द्वारा विवादित आराजी पर 70 वर्ष से अपना कब्जा काश्त होना बताया गया है। वादी को कब्जे के आधार पर व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। वादी का वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 37 / 2021	अन्तर्गत 88, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक– 23.12.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी–श्री जयेश सक्सैना	अभिभाषक प्रतिवादी–श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

देवीलाल आत्मज श्री माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम बम्बूलिया जागीर, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही निम्नानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेष मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 23.12.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Scanned with CamScanner